



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 379 राँची, बुधवार,

17 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

9 मार्च, 2023

संख्या- 03/म०स०/दिव्यांगता-420/2022-605--दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 101 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 में निम्नांकित संशोधन करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

- यह नियमावली "झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2023" कही जाएगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ही प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 के अध्याय-2 में सीमित संरक्षकता के बिंदू पर नियम-6 के पश्चात् नियम 6 (A) एवं 6 (B) निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है अर्थात् -

6(A) (1) सीमित संरक्षकता- कोई जिला अदालत स्वयं अपनी ओर से या किसी विकलांगजन द्वारा आवेदन पर या किसी सगे संबंधी द्वारा या विकलांगजन के लिए सरकारी संगठन या ऐसे पंजीकृत संगठन के द्वारा जिसके संरक्षण में विकलांगजन निवास कर रहा है, आवेदन दायर किए जाने पर संबंधित विकलांग व्यक्ति के परामर्श से उसकी ओर से कानूनन बाध्यकारी निर्णय लेने के लिए सीमित संरक्षकता मंजूर करेगा।

- (2) जिला अदालत विकलांगजन के लिए सीमित संरक्षकता प्रदान करने से पहले स्वयं को इस बात से संतुष्ट करेगा कि विकलांगजन स्वयं के लिए कानूनी रूप में अनिवार्य निर्णय करने की स्थिति में नहीं है।
- (3) जिला अदालत विकलांगजन की विधिक क्षमता के निर्धारण हेतु सुनवाई करेगी, इस सुनवाई के दौरान विकलांगजन उपस्थित रहेगा, यदि अपेक्षित होगा अदालत विकलांगजन की विधिक क्षमता के निर्धारण हेतु विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकता है।
- (4) उपनियम (1) के अंतर्गत नियुक्त सीमित संरक्षकता की वैधता अवधि प्रारंभ में तीन वर्ष के लिए होगी, जिसे जिला अदालत द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसी भी स्थिति हो :

परंतु, जिला अदालत सीमित संरक्षकता की वैधता प्रदान करते समय उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगी जो प्रारंभिक संरक्षकता प्रदान करते समय की जाती है।

- (5) जिला अदालत सीमित संरक्षकता प्रदान करने के आवेदन प्राप्त की तारीख से या सीमित संरक्षकता की आवश्यकता की सूचना प्राप्त होने की तिथि से एकमाह की अवधि के भीतर निर्णय लेगी: बशर्ते कि सीमित संरक्षण के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की सहमति भी संरक्षण प्रदान करने से पहले प्राप्त की जाएगी।

जिला अदालत सीमित संरक्षकता की वैधता प्रदान करते समय उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगी जो प्रारंभिक संरक्षकता प्रदान करते समय की जाती है।

- (6) उक्त सीमित संरक्षकता मंजूर करते समय अदालत निम्नांकित वरीयता क्रम में सीमित संरक्षण नियुक्त करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति पर विचार करेगी :-
 - (क) विकलांग व्यक्ति के माता पिता या वयस्क बच्चे;
 - (ख) सगा भाई या बहन; और
 - (ग) अन्य सगा संबंधी अथवा देखभाल करने वाला समुदाय का प्रमुख व्यक्ति
 - (घ) किसी मामले में यदि विकलांगजन के परिवार की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है तो इसके लिए सरकारी संगठन का अधीक्षक या विकलांगजन को आश्रय प्रदान करने वाले पंजीकृत संगठन के प्रभारी पर विचार किया जाएगा।
- (7) केवल ऐसे व्यक्ति को सीमित संरक्षक नियुक्त किया जाएगा, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जिसे पूर्व में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 1) में परिभाषित किसी संज्ञेय अपराध का दोषी न ठहराया गया हो।
- (8) उप-नियम (1) के अंतर्गत नियुक्त सीमित संरक्षक विकलांगजन की ओर से कानूनी रूप में बाध्य कोई भी निर्णय करने से पहले सभी मामलों में सम्बद्ध विकलांगजन के साथ सलाह मशविरा करेगा।
- (9) नियुक्त सीमित संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि विकलांगजन की ओर से किए गए कानूनी रूप में बाध्य निर्णय उक्त विकलांग व्यक्ति के हित में होने चाहिए।

6 (B) अपील प्राधिकारी- नियम 6 के उपनियम (1) के अंतर्गत सीमित संरक्षक की नियुक्ति संबंधी जिला अदालत के किसी भी निर्णय के खिलाफ अपील के लिए अपील प्राधिकारी उच्च न्यायालय होगा।

3. झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 के नियम 43 (क) एवं 43 (घ) को संशोधित करते हुए निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :-

43 (क) अधिनियम की धारा -51 के तहत निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संस्थानों के पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकार होंगे। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संस्था स्थापित करने या बनाए रखने के इच्छुक व्यक्ति निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड को वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

43 (घ) दिव्यांगता के क्षेत्र में नये पंजीकरण अन्तर्गत प्रमाणपत्र संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षोपरांत निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड द्वारा दिया जायेगा।

वैसी संस्थाएँ जो सरकार द्वारा अनुदानित / मान्यता प्राप्त हैं या भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उन संस्थाओं का प्रमाणपत्र वांछित कागजातों के सत्यापन पश्चात्निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निर्गत किया जायेगा।

4. झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 के नियम 43 (छ) के पश्चात् नियम 43 (ज) निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है अर्थात्-

"43 (ज) सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील- झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2018 के नियम 43 (क) में वर्णित सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने से इंकार करने या पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त करनेके आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 3 महीने के अन्दर सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को अपील कर सकता है।

5. झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 की अन्य नियम यथावत् हेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव
